

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

15/02/2022 14:35 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/02/2022 Time (समय): 13:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 15/02/2022 14:13 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): यशमोहन

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री प्रताप सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव फतेहपुर बिल्लोच फरीदाबाद, BALLABHGARH SADAR, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव फतेहपुर बिल्लोच फरीदाबाद, BALLABHGARH SADAR, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	रवि शर्मा SE			1. MCF FARIDABAD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	रवि शंकर अकाउंटेंट			1. MCF FARIDABAD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE		.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

श्रीमान ए.एस.पी. साहब
विजिलेन्स फरीदाबाद।

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं यशमोहन पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गाँव फतेहपुर बिल्लोच बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने

वाला हूँ और मेरी यशमोहन नाम से अपनी एक फर्म हैं जो हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है, और जी०एस० टी० नं० 06BLNPM9954L1Z6 है। मैंने वर्ष 2018 में वार्ड नं० 38 नजदीक भीम का बाग बुस्टिंग इन बल्लबगढ़ में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिये नगर निगम फरीदाबाद में ऑन लाईन आवेदन किया था जिसका टैण्डर नं० 91725 दिनांक 21.08.2018 है, जिस पर मुझे नगर निगम फरीदाबाद ने वर्कआर्डर नं० MCF/EE-IV/2019/208 दिनांक 08.03.2019 द्वारा 87.50 लाख रुपये जो 26 प्रतिशत Above कुल 1,05,80,249 रुपये (एक करोड़ पाँच लाख अस्सी हजार दो सौ उन्चास) में अलॉट हुआ था। मैंने कम्युनिटी सेंटर का निर्माण समय पर कर दिया था जिसका नगर निगम द्वारा 06.03.2021 को निर्माण पूरा करने बारे Completion letter जारी किया हुआ है।

मुझे नगर निगम फरीदाबाद द्वारा अपने कार्य की पहले बिल 34,00,000 रुपये की अदायगी दिनांक 24.10.2019 को धरोहर राशी काटने उपरान्त 29,24,000 रुपये जारी किये गये थे, उस समय मेरा बिल जारी कराने हेतु श्री रवि शर्मा XEN अब SE नगर निगम फरीदाबाद ने मुझसे 2,80,000 रुपये की रिश्त की मांग की थी जिस पर मेरे काफी मिन्नतें करने पर उन्होंने 2,50,000 रुपये से कम रिश्त देने से राजी नहीं हुये और रिश्त देने बारे यह तय हुआ कि पहले बिल पर 50,000 रुपये दूसरे बिल पास होने पर 50,000 रुपये तथा अन्तिम बिल पर 1,50,000 रुपये रिश्त देने होंगे, अगर नहीं दिये तो तुरन्त तेरी पेमेन्ट रुकवा दुंगा। और तेरी फर्म को ब्लैक लिस्ट करा दूंगा जो मैंने मजबूरी में अपनी पेमेन्ट निकलवाने के लिये रवि शर्मा XEN को पहली अदायगी में 50,000 रुपये तथा दूसरी दिनांक 01.12.2020 को 25,14,271 रुपये की अदायगी के समय 50,000 रुपये बतौर रिश्त दे चुका हूँ।

अब मेरा निगम निगम पर 20,50,412 रुपये 27 पैसे का बिल तथा 8,70,777 रुपये धरोहर राशी जो कुल 29,21,189 रुपये 27 पैसे बकाया है जिसके लिये जनवरी 2022 में दोबारा श्री रवि शर्मा XEN अब SE नगर निगम फरीदाबाद से मिला तो उन्होंने मुझसे बकाया 1,50,000 रुपये रिश्त की मांग की जिसपर मैंने उनसे अदायगी के बाद पैसे देने की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिल पर तब हस्ताक्षर करूंगा जब आप मुझे 1,50,000 रुपये रिश्त दे दोगें, मेरी काफी मिन्नतें करने के बाद मैंने उन्हें 1,00,000 रुपये उसी समय दे दिये और 50,000 रुपये बाद में देने की बात की, जिसपर उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम 1,00,000 रुपये दे जाओ मैं फाईल पर हस्ताक्षर करके अकाउण्ट ब्रान्च में भिजवा दूंगा और तुम उस ब्रान्च में रवि शंकर से मिल लेना।

उसके बाद मैं कुछ दिन बाद नगर निगम फरीदाबाद में अकाउण्ट ब्रान्च में जाकर रवि शंकर अकाउण्टेन्ट से जाकर मिला तो उससे अपना बिल पास कराने बारे कहा जिस पर उसने मुझसे 90,000 रुपये की रिश्त की ओर मांग की और कहा कि तेरी फाईल हस्ताक्षर होकर मेरे पास पेमेन्ट के लिये आ चुकी है और एस०ई० साहब का भी फोन आया था उनके भी तेरे पास 50,000 रुपये बकाया है। पहले उन्हें 50,000 रुपये दे देना और मुझे 90,000 दे देना तो तेरी पेमेन्ट हो जायेगी, लेकिन उस फाईल पर लेट पेमेन्ट होने का कारण ओर लिखवाना है जो मैं ये लिखवाने के लिये एस०ई० साहब से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि बकाया रिश्त के 50,000 रुपये दे जाना और मैं उसी फाईल पर लेट पेमेन्ट होने का कारण लिख दूंगा। मेरी काफी मिन्नतें करने पर वो दोनों बिना रिश्त लिये मेरी पेमेन्ट नहीं कर रहे और उल्टा मेरी फर्म को ब्लैक लिस्ट कराने की धमकी दे रहे हैं, जो मैं कल दिनांक 14.02.2022 को पैसे लेकर नगर निगम फरीदाबाद गया था परन्तु वो कोई मीटिंग में व्यस्त होने के कारण अपने-अपने कार्यालय में हाजिर नहीं मिले जिस पर मैंने उन दोनों से उनके मोबाईल फोन पर बात की जिस बारे मैंने उन दोनों से रिश्त बारे हुई कुछ बातचीत रिकार्ड कर ली है जो मैं बाद में पैनड्राइव या सी०डी० में डलवाकर आपको पेश कर दूंगा। रवि शंकर अकाउण्टेन्ट नगर निगम को 90,000 रुपये रिश्त देने तथा श्री रवि शर्मा XEN अब SE नगर निगम फरीदाबाद को बकाया रिश्त राशी 50,000 रुपये देने का आज दिनांक 15.02.2022 का समय निश्चित हुआ है मैं उन्हें और रिश्त देना नहीं चाहता और मेरा उन दोनों से पैसे का निजी कोई लेन-देन नहीं है और नाही किसी प्रकार का कोई मनमुटाव अथवा दुश्मनी है। कृपया करके उन दोनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

Yesh Mahun

यशमोहन पुत्र श्री प्रताप सिंह

निवासी गाँव फतेहपुर विल्लोष

बल्लबगढ़ फरीदाबाद

9910920662,9416630091

कार्यवाही पुलिस:- आज मैं अपने प्रवाचक HC जगेश कुमार के साथ अपने कार्यालय में हाजिर हूँ कि शिकायतकर्ता यशमोहन ने मेरे से मिल कर उपरोक्त कंप्यूटर से लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। जिस पर मैंने शिकायत को पढ़कर आश्चर्य होने पर उच्च अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी जो शिकायत के आधार पर श्री रविशर्मा XEN हाल SC MCF तथा श्री रवि शंकर ACCOUNTANT MCF के खिलाफ दारा 7 P.C ACT का जुर्म पाये जाने पर शिकायत अभियोग अंकित करने के लिए MHC थाना SVB FBD के हवाले की और हिदायत दी कि अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल सिपाही के जरिये ईलाका मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित अफसरों को समय पर पहुँचकर व अभियोग नम्बर से सूचित करे और शिकायतकर्ता की शिकायत अनुसार दोनों आरोपियों ने एक ही समय में रिश्त के पैसे प्राप्त करने का समय दिया है इसलिए रैड में मदद के एक अन्य निरीक्षक की आवश्यकता है इसलिए मेरे द्वारा एक रैडिंग टीम तैयार की गई। जिसमें निरीक्षक राकेश कुमार ASI रोहित, EASI मनोज, HC जगेश कुमार, HC सन्दीप, HC चरणजीत, EHC उधम व EHC यशप्रताप नियुक्त किये गये तथा रैड में दो प्राइवेट गाड़ी न0 HR-51-BJ-6793, व HR-51-CC-1923 साथ में ली गई तफ्तीश बैग व आवश्यक सामान भी साथ में लिया गया। अब मैं रैडिंग पार्टी सहित डियूटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाह नियुक्त कराने के लिए उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद का रवाना होता हूँ। अज:- रा0-चौ0 ब्यूरो फरी0 SD. ASP अनिल कुमार अतिरिक्त पुलिस अधी0 रा0 चौ0 ब्यूरो0 मण्डल फरीदाबाद दिनांक 15.02.22 At. 12.30 PM. अज थाना - हस्ब आमद तहरीर बाला पर मुकदमा नम्बर- 06 दिनांक 15.02.2022 U/S 7 PC ACT PS SVB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल सिपाही ओमबीर न0. 2917/GGM के की जाकर सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मजिस्ट्रेट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा सिपाही के की जाकर निज्द ASP Anil Kumar बर मौका भेजी जा रही है। नोट मुकदमा हजा Dsp बलवीर सिंह की हाजरी में दर्ज किया गया CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण FIR देरी से दर्ज की गई।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Anil Kumar **Rank (पद):** DCP (Deputy Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or **(के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

